



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 192-2020/Ext.]

चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020
(3 पौष, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 58/ह०अ०-16/1994/धा०3/2020 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 मानेसर को नगर निगम घोषित करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	327-329
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग—III**हरियाणा सरकार**

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 दिसम्बर, 2020

संख्या का०आ० 58/ह०अ०-16/1994/धा०3/2020.—हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मानेसर तथा नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सीमाओं को नगर निगम, के रूप में घोषित करते हैं, जो नगर निगम, मानेसर के नाम से ज्ञात होगा:-

सीमाओं की अनुसूची

नगर निगम, मानेसर की सीमाओं की अनुसूची को द्वाइंग संख्या एम०सी०जी०/टी०पी०/2020/61, दिनांक 01.12.2020 से संलग्न प्रति में चिह्नित बिन्दु 'ए' से 'जी' तक दर्शाई गई सीमाओं के साथ पढ़ा जायेगा।

उत्तर:— बिन्दु 'ए' जोकि ग्राम गोपालपुर, धनकोट तथा चन्दू की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है, से आरंभ होकर, ग्राम गोपालपुर तथा धनकोट की संयुक्त राजस्व सीमा के साथ-साथ दक्षिणी पूर्व की ओर बिन्दु 'बी' तक जहां यह नगर निगम, गुरुग्राम की वर्तमान पश्चिमी सीमा से मिलती है।

पूर्व:— बिन्दु 'बी' से आरंभ होकर नगर निगम, गुरुग्राम की वर्तमान सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 'सी' तक, जहां पर ग्राम शिकोहपुर की दक्षिणी-पूर्वी राजस्व सीमा नगर निगम, गुरुग्राम की वर्तमान सीमा से मिलती है, उसके उपरान्त ग्राम शिकोहपुर-सकटपुर, नौरंगपुर-गैरतपुर बास और बाड़गुर्जर-गैरतपुर बास की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ दक्षिण की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 'डी' तक, जहां यह जिला मेवात की सीमा को मिलती है, उसके बाद जिला मेवात की सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 'ई' तक, वह बिन्दु जहां नैनवाल ग्राम की पश्चिमी राजस्व सीमा जिला मेवात की सीमा से मिलती है।

दक्षिण:— बिन्दु 'ई' से आरंभ होकर, ग्राम नैनवाल तथा मानेसर की पश्चिमी राजस्व सीमाओं, ग्राम कूकरोला की दक्षिणी-पूर्वी राजस्व सीमा तथा ग्राम फाजलवास की दक्षिण-पूर्वी तथा दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 'एफ' तक, जोकि ग्राम फाजलवास की दक्षिण-पश्चिमी सीमा तथा ग्राम बिनोला की उत्तर-पूर्वी सीमाओं का मिलन बिन्दु है, उसके बाद ग्राम फाजलवास-फखरपुर, कूकरोला-फखरपुर, कासन-मोकलवास, कासन-खरखरी तथा कासन-बासलम्बी की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 'जी' तक, वह बिन्दु जहां यह ग्राम खावसपुर की दक्षिण-पूर्वी राजस्व सीमा से मिलती है।

पश्चिम:— बिन्दु 'जी' से आरंभ होकर गांव कासन, ढाणा, बासहरिया, झुंड सराए (आबाद), झुंड सराए (विरान), भांगरोला, ढोरका, वजीरपुर, गढ़ी-हरसरू तथा गोपालपुर की पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 'ए' तक जहां से यह प्रारंभ हुई थी।

एस० एन० रॉय,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 24th December, 2020

No. S.O. 58/H.A. 16/1994/S. 3/2020.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby declares Manesar with boundary areas as specified in the Schedule given below to be known as Municipal Corporation, Manesar :-

SCHEDULE OF BOUNDARIES

Schedule of boundaries for Municipal Corporation, Manesar shall be read with the boundaries shown under points 'A' to 'G' marked on the attached drawing bearing no.MCG/TP/2020/61 dated 01.12.2020.


North:- Starting from point 'A' i.e. the tri-junction of the revenue boundaries of village Gopalpur, Dhankot and Chandu, thence towards south-east along the common revenue boundary of village Gopalpur and Dhankot upto the point 'B', where it meets the existing boundary of Municipal Corporation of Gurugram.

East:- Starting from point 'B' and moving towards south-west and south-east along the existing western boundary of Municipal Corporation of Gurugram upto the point 'C' i.e. a point where the south-eastern revenue boundary of village Shikohpur meets the existing boundary of Municipal Corporation, Gurugram, thence towards south along the common revenue boundaries of villages Shikohpur-Sakatpur, Naurangpur-Gairatpur Basand Bargujjar-Gairatpur Bas upto the point 'D', where it meets the boundary of District Mewat, thence towards south-west along the boundary of District Mewat upto the point 'E' i.e. a point where the western revenue boundary of village Nainwal joins the District Mewat boundary.

South:- Starting from point 'E' and moving towards south-west along the western revenue boundaries of villages Nainwal & Manesar, south-eastern revenue boundary of villages Kukrola and south-eastern & southern revenue boundary of village Fazalwas upto the point 'F' i.e. a point at the junction of the south-western revenue boundary of village Fazalwas meets with the north-eastern revenue boundary of village Binola, thence moving towards north-west along the common revenue boundaries of villages Fazalwas-Fakharapur, Kukrola-Fakharapur, Kasan-Mokalwas, Kasan-Kharkhari and Kasan-Baslambi upto the point 'G' i.e. a point where it meets the south-eastern revenue boundary of village Khawaspur.

West:- Starting from point 'G' and moving towards north-east along the western revenue boundaries of villages Kasan, Dhana, Basharia, Jhund Sarai (Abad), Jhund Sarai (Viran), Bhangrola, Dhoraka, Wazirpur, Garhi Harsaru and Gopalpur upto the point 'A' i.e. the point of start.

S. N. ROY,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.



cccc